न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 346/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/510**
दायर दिनांक :– 20.12.2024 **निर्णय दिनांक :– 19.09.2025**

1. नजीर खां पुत्र कायमदीन जाति सिंधि मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला फलोदी
2. लालदी पुत्र करीमखां जाति सिपाही निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला फलोदी
3. शकूर खां जाति सिंधि मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की भूमि की खसरा नम्बर 231/2 रकबा 3.0756 हैक्टेयर सरहद मौजा केशरपुरा पटवार हल्का पटवार घटोर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्राथीगण का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणियां, पानी के टांका एवं पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार बाहर ही मास निवास करते आ रहे है तथा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थीगण ने पत्थर के खूंटे रोपकर तारबन्दी कर रखी है। लेकिन तत्कालीन पटवारी ने बिना किसी आदेश के ही प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम नक्शा लटठा में प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त से भिन्न कर दी गई थी और उसी गलत तरमीम के आधार पर ही वर्तमान में सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम करदी जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र एवं सहमति नहीं दी है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम केशरपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 231/2 रकबा 3.0756 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लटठा में की गई विधि विरूद्ध तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त की तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

19/9/25

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब में बताया कि ग्राम केशरपुरा के खसरा नम्बर 231/2 रकबा 3.0756 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा व काश्त से भिन्न है जो पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट से प्रमाणित है। उक्त भूमि की तरमीम पटवारी हल्का घटोर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम केशरपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 231/2 रकबा 3.0756 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है। ऑनलाईन नक्शा में एवं नक्शा लट्ठा में भिन्नता है या नहीं इसका वर्णन मौका रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है। चूंकि विवादग्रस्त खसरान की भूमि तरमीम को किस प्रकार दुरूस्त किया जाना है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न लट्ठा नक्शा की प्रति संलग्न नहीं की गई है जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्तमान तरमीम एवं पूर्व की तरमीम में भिन्नता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)